अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल

संख्या–1387 / 9–1–2023–331सा / 2017

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2023

विषय–नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों / पार्षदों / अध्यक्षों / सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के उपरांत निकाय बोर्ड की बैठक कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1375 / 9–1–2023–331सा / 2017, दिनांक 23 मई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों / पार्षदों / अध्यक्षों / सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के उपरांत निकाय बोर्ड की बैठक कराये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 23.05.2023 में पत्रांक एवं दिनांक में टंकण / लिपिकीय त्रुटि हो गयी है जिसके कारण उक्त शासनादेश संख्या–1375 / 9–1–2023–331सा / 2017, दिनांक 23 मई, 2023 को निरस्त करते हुए निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

2.1. नगरीय निकाय निर्वाचन 2022–23 के निर्वाचन के उपरांत शासन द्वारा निकायों के गठन की अधिसूचनायें निर्गत कर शासन के पत्र संख्या–1376 / 9–1–2023–331सा / 2017, दिनांक 23.05.2023 द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिनांक 26 मई, 2023 अथवा दिनांक 27 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–85 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–43 घ के अंतर्गत शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2.2 निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण करने के उपरांत निकायों के खातों के संचालन के संबंध में स्थानीय निकायों के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निकायों के कार्यों के प्रबन्धन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–4078 / 9–1–2022–119रिट / 2011, दिनांक 04.01.2023, शासनादेश संख्या–12 / 9–1–2023–119रिट / 2011, दिनांक 10.01.2023, एवं शासनादेश संख्या–130 / 9 –1–2023–119रिट / 2011, दिनांक 23.01.2023 निरस्त हो जायेंगे एवं निकायों के खातों का संचालन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दी गयी सुसंगत धाराओं में दी गयी व्यवस्थानुसार संचालित होंगे।

2.3 निकायो मे शपथ ग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरांत निकायों के गठन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01 माह के भीतर अर्थात दिनांक 23.06.2023 तक निकायो के बोर्ड की बैठके आयोजित कराकर वित्तीय वर्ष 2023–2024 में निकायों में कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर उस पर निकाय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर कार्ययोजना शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2023 तक उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) लखनऊ।
3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।